बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 1 सत्र- 187वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
सोमवार, दिनांक 27.11. 2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 पूर्वाह्न से 11.30 पूर्वाह्न तक

1. माननीय उप सभापति महोदय द्वारा बिहार विधान परिषद् के 187वें सत्र के अवसर पर प्रारंभिक संबोधन

माननीय उप सभापति महोदय ने बिहार विधान परिषद् के 187 वें सत्र का शुभारंभ करते हुए अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि माननीय नेता, सत्तारूढ़ दल, विभिन्न दलों के नेतागण, मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यगण, बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण !

बिहार विधान परिषद् का 187वां सत्र आज से आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बिहार विधान परिषद् के विभिन्न दलों के माननीय नेतागण, माननीय सचेतकगण तथा माननीय सदस्यगण का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही, लोकतंत्र के प्रहरी प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार-छायाकार प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं।

बिहार विधान परिषद् का यह शीतकालीन सत्र कुल 5 बैठकों का है। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में लोकहित एवं राज्य के विकास से संबंधित अधिक से अधिक विषयों को सदन के पटल पर लाया जाएगा। आशा है, माननीय सदस्यगण अपनी सक्रिय भागीदारी द्वारा इस सत्र को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे।

कल पूरे देश में 'संविधान दिवस' मनाया गया। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को सरकारी तौर से संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया जो 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव में आया।

इस अवसर पर सदन की ओर से हम सभी संविधान के जनक डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेदकर को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 9 नवम्बर, 2017 को पटना में तीसरे कृषि रोडमैप की 9 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इस बहुआयामी कार्यक्रम के तहत जैविक खेती के प्रोत्साहन को केन्द्र बिन्दु बनाया गया है।

आगामी पांच वर्षों में हर भारतीय की थाली में कम-से-कम एक बिहारी व्यंजन पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह प्रयास अत्यंत उत्साही एवं सराहनीय है।

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बिहार ने साहसिक पहल की है। विगत माह 2 अक्टूबर को इस कुप्रथा के विरुद्ध पूरे बिहार ने संकल्प लिया है। यह सदन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के इस ऐतिहासिक कदम की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है कि उनके कुशल नेतृत्व में शुरू हुई यह मुहिम बिहार के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर इस सामाजिक बुराई पर कठोर प्रहार करेगी।

यह सदन महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आभार प्रकट करता है एवं माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के इस कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता है।

सदन की कार्यवाही एक जीवन्त दस्तावेज होता है जिसके पन्नों पर माननीय सदस्य सजीव पात्रों की तरह सदैव उभरते रहते हैं। विगत कुछ वर्षों से विधान परिषद् की कार्यवाही का प्रकाशन लम्बित था, उसे पुन: शुरू किया गया है। शीघ्र ही लंबित सभी कार्यवाहियों का प्रकाशन कराकर माननीय सदस्यों को प्राप्त करा दिया जाएगा।

(मेजें थपथपाकर स्वागत)

राज्य की वास्तविक छवि उभारने, यहां की आस्थावान जनता की तकलीफ को दूर करने तथा उनकी अपेक्षाओं को अमली जामा पहनाने का दायित्व जन प्रतिनिधियों के कंधे पर होता है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु परिषद् के प्रक्रिया संबंधी नियम में कई उपबंध किये गये हैं। इन्हीं उपबंधों में से एक है अंतरसत्रीय अवधि में भी प्रत्येक सदस्य प्रति सप्ताह दो अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका लिखित उत्तर संबंधित विभाग द्वारा एक माह की अवधि के भीतर परिषद् सचिवालय को प्राप्त कराया जाना है। परिषद् सचिवालय की व्यवस्था दुरुस्त कर इसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया है।

(मेजें थपथपाकर स्वागत)

माननीय सदस्यों को इस प्रक्रियात्मक उपबंध का लाभ उठाना चाहिए। यही व्यवस्था निवेदन पर भी लागू है। अंतरसत्रीय अवधि में कोई सदस्य प्रतिमाह दो निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

गांधी जी की चम्पारण यात्रा के शताब्दी वर्ष में बिहार विधान परिषद् में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती समारोहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया है, साथ ही 18 नवम्बर को महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी एवं विधान परिषद् के पूर्व सदस्य बटुकेश्वर दत्त की जयन्ती प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है।

परिषद् सचिवालय स्थित कबीर वाटिका के सौन्दर्यीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

परिषद् सचिवालय की कार्य संस्कृति में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी है। निकट भविष्य में परिषद् सचिवालय की सभी शाखा एवं समिति का कार्यालय पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत हो जाने की संभावना है। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किये जाने की दिशा में कार्रवाई चल रही है।

माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए परिषद् सचिवालय से बैठकों की सूचना एस.एम.एस. एवं दूरभाष के माध्यम से दिया जाने लगा है। सत्रावधि के दौरान अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के लिए अलग-अलग पेटियों की व्यवस्था कर दी गयी है। एक्यूप्रेशर सेवा को भी विस्तारित किया गया है।

ई-विधान लागू किये जाने के उद्देश्य से मेरे नेतृत्व में सचिव एवं उप सचिव की एक समिति हिमाचल विधान सभा का दौरा कर लौटी है। आशा है, इस दिशा में हम शीघ्र आगे बढ़ेंगे।

परिषद् सचिवालय के सभी महत्वपूर्ण स्थल अब सी.सी.टी.वी. कैमरे की नजर में हैं। सदन की कार्यवाही अब वेबकास्ट होगी (टी.वी. एवं मोबाइल पर प्रसारण)। आगामी सत्र तक हेडफोन की व्यवस्था कर दी जाएगी।

नये विस्तारित भवन में समिति अध्यक्षों के लिए कार्यालय कक्ष, समिति कक्ष को व्यवस्थित कर दिया गया है, सफाई की आउटसोर्स व्यवस्था की गयी है, कमियों को भविष्य में दूर कर दिया जाएगा। उर्दू पत्रिका 'कॉउंसिल दस्तावेज' का प्रकाशन पुन: शुरू किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य की समस्याओं के प्रति हम सभी गंभीर एवं चिंतित हैं। इसलिए, दलगत भावना से ऊपर उठकर हम सभी एकमत होकर बिहार राज्य के हित में सदन में एकजुट होकर सदन के संचालन में सहयोग करें ताकि राज्य का प्रत्येक तबका लाभान्वित हो सके।

पिछले सत्रों की तरह इस सत्र में भी परिषद् सचिवालय के पदाधिकारी-कर्मचारीगण तथा मीडिया के प्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रखता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं।

धन्यवाद !

(मेजें थपथपाकर स्वागत)

2. **माननीय उप सभापति महोदय द्वारा 187वें सत्र के लिए अध्यासीन सदस्यों की तालिका की घोषणा**

माननीय उप सभापति महोदय ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् के 187वें सत्र के लिए निम्नांकित माननीय सदस्यों को अध्यासीन सदस्य मनोनीत करने की घोषणा की-

1. प्रो. नवल किशार यादव
2. डा. रामवचन राय
3. श्री केदारनाथ पाण्डेय
4. श्री राजेश राम

3. **अध्यादेश का सदन के पटल पर रखा जाना**

माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड-2(क) के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अध्यादेश, 2017 की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. **वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन**

माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

5. **शोक-प्रकाश**

1. स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन
2. स्वर्गीय मुंद्रिका सिंह यादव
3. स्वर्गीय भोला प्रसाद सिंह
4. स्वर्गीय धनराज सिंह
5. स्वर्गीया श्यामा सिंह
6. स्वर्गीय गया सिंह
7. स्वर्गीय विलट पासवान 'विहंगम'
8. स्वर्गीय प्रियरंजन दासमुंशी
9. स्वर्गीय एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह (सेवा निवृत्त)
10. स्वर्गीय कुंवर नारायण

तदुपरांत माननीय उप सभापति महोदय ने इन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी ओर से एवं सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक-संतप्त परिवारों को धैर्य एवं शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की।

(तत्पश्चात् दिवंगत आत्माओं की चिर-शांति हेतु सदन में
एक मिनट मौन खड़े रहकर ईश्वर से प्रार्थना की गई)

माननीय उप सभापति महोदय ने सचिव को यह निदेश देने की कृपा की कि शोक-प्रकाश की प्रति शोक-संतप्त परिवारों को भेज दी जाए।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 28.11.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

27/11/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 2024(3)/वि.प. पटना, दिनांक 27.11.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
27-11-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।